15/11/2021 – पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
2021 कैम्प - तिलानेस में रखी गई। उभय पक्ष
उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं० 1, 3 ने जवाब पेश किए
जो शा० मि० रखे। उपस्थित पक्षकारों को सुना
गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है
कि ग्राम तिलानेस की राजस्व सीमा में जमीन ख०
नं० 283 रकबा 1.08 हे० खातेदार हरिराम,
श्रवणराम पि० घासीराम जाति मेघवंशी निवासी
तिलानेस की खातेदारी की भूमि आई हुई थी।
उक्त खातेदार हरिराम, श्रवणराम ने ख०नं०
283 रकबा 0.4047 हे० जमीन का बेचान रेस्पो०
सं० 2 सांवराराम को करके बेचान रजिस्ट्री दि०
8.6.2016 को रेस्पो० सांवराराम के नाम करवा
इस खसरा की रकबा 0.4047 हे० जमीन पर
सांवराराम का कब्जा उसी दिन करवा दिया व
बेचान रजिस्ट्री के आधार पर व कब्जे के आधार
पर नामान्तरण रेस्पो० सांवराराम के नाम भरा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मल्लाराम S/o मोहनराम V/S. G.P. तिलानेस व गै. प्र. सं. वर्ष 06/2021

हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
गया था जो ग्राम पंचायत तिलानेस द्वारा स्वीकृत किया गया। व इस जमीन के नये ख०नं० 919/283 रकबा 0.4047 हैं० जमीन सांवराराम के नाम से अलग दर्ज कर दी गई। उक्त जमीन मूल खसरा नम्बर 283 का भाग है। इस जमीन पर केता सांवराराम का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा था। केता व रेस्पोडेंट सं० 2 सांवराराम ने ग्राम तिलानेस के ख०नं० 919/283 जो मूल ख० नं० 283 का भाग रकबा 0.4047 हैं० में से रकबा 0.2000 हैं० जमीन पश्चिमी दिशा का बेचान अपीलान्ट मल्लाराम को करके बेचान के रुपये प्राप्त कर बेचान रजिस्ट्री सांवराराम ने अपीलान्ट मल्लाराम के नाम से उप पंजीयक कार्यालय डेगाना में दि० 21.1.2021 को करवाकर ख०नं० 919/283 की बेचान की गई जमीन रकबा 0.2000 हैं० पश्चिमी दिशा की जमीन पर अपीलान्ट का कब्जा करवा दिया जो कब्जा आज दिन अपीलान्ट का मौके पर चला आ रहा है। अपीलान्ट के बेचान दस्तावेज दि० 21.1.2021 के आधार पर नामान्तरण भरवाने हेतु हल्का पटवारी को बेचान दिया जिस पर हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जे की जाँच कर बेचान की गई जमीन पर अपीलान्ट का कब्जा होना पाये जाने पर नामा० सं० 298 दिनांक 11.2.2021 भरा गया व आर. आई. हल्का ने कब्जे व नामान्तरण की जाँच की जिस पर	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं [illegible] अधिकारी
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व ता अहकम जो...
	कब्जा क्रेता अपीलान्ट का होने व नामान्तरण सही होने से भू-अभिलेख निरीक्षक ने नामान्तरण होना सही माना व नामान्तरण स्वीकृति हेतु रेस्पोडेन्ट सं० 1 सरपंच ग्रा०पं० तिलानेस के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत तिलानेस ने यह टिप्पणी करते हुए अस्वीकृत कर दिया कि उपरोक्त जमीन पर मौके पर हरिराम व श्रवणराम का कब्जा है। सांवतराम, मल्लाराम का इस जमीन पर कब्जा नहीं है इस आधार पर रेस्पो०सं० 1 ने नामान्तरण अस्वीकार किया है जो विधि विरुद्ध है। जब हरिराम व श्रवणराम ने दिनांक 8.6.2016 को रकबा 0.4047 हे० भूमि का रजि० बैचान कर दिया व कब्जा सुपुर्द कर दिया जिसके आधार पर सांवतराम के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत हो गया तो उक्त भूमि पर हरिराम व श्रवणराम का कब्जा कतई नहीं माना जा सकता है बैचान रजिस्ट्री करवाने के समय ही कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया जो बैचान दस्तावेज में वर्णित है। बैचान दस्तावेज दि० 8.6.2016 में खातेदार हरिराम व श्रवणराम ने यह स्वीकार किया है कि विक्रित भूमि पर क्रेता सांवतराम का कब्जा करवा दिया है जिससे यह लिखना की कब्जा हरिराम व श्रवणराम का है, कतई गलत है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा उक्त नामा० खारिज कर दिये जाने से अपीलान्ट	

सहायक कलक्टर
एवं पदेन ... अधिकारी
डेगाना (...)

मल्लाराम S/o मोहनराम V/s. G.P. तिलानेस वगैरह सं. वर्ष 06/2021

मा / क्रम	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	के हको पर भयंकर कुठाराघात हो रहा है व अपीलान्ट को अपार क्षति हो रही है इस जमीन पर मौके पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है जिससे नामा० सं० 298 दि० 11.2.2021 को अपीलान्ट के लिये निरस्त किया जाना अति आवश्यक हो गया है जिससे उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है नामान्तरकरण सं० 298 दिनांक 11.2.2021 रेस्पो० सं० 1 द्वारा दिनांक 22/2/2021 को निरस्त किया था व अपीलान्ट इस भरोसे रहा कि उसके नाम से नामान्तरकरण भरा जाकर खातेदारी दर्ज हो गई होगी लेकिन अपीलान्ट ने दिनांक 23/3/2021 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को प्रथम बार यह जानकारी हुई कि उसके नाम का नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिये जाने से खातेदारी दर्ज नहीं हुई जिससे दिनांक 23/3/2021 को प्रमाणित नकल प्राप्त की जिससे यह अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा०पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं० 298 दिनांक 11.2.2021 को भरा गया व रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 सरपंच ग्राम पंचायत तिलानेस के दिनांक 22/2/21 को विधि विरुद्ध अस्वीकार कर दिया को निरस्त फरमाया जाकर पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण भरने हेतु तहसीलदार डेगाना को आदेश दिये जाकर ग्राम तिलानेस के ख० नं० 919/283 की [signature] सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी ... नागौर)	

Scanned by CamScanner

अनुवान मुकदमा तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	रकबा 0.2000 है० जमीन का नाम० अपीलान्ट के नाम से भरा जाकर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेन्ट गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेन्ट सं० 2 ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है। रेस्पोण्डेन्ट सं० 1 दौराने कैम्प अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि अब कब्जा मल्लाराम का है अगर मल्लाराम के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है तो ग्रा०पं० तिलानेस को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोण्डेन्ट सं० 3 ने अपने जवाब में कथन किया है कि हरिराम, श्रवणराम पि० घासीराम, मल्लाराम पुत्र मोहनराम व सांवतराम पुत्र घासीराम ने इस आशय का इकरारनामा करवाया है कि हरिराम, श्रवणराम ने मालिक बेचान दस्तावेज कब्जा हस्तान्तरण कर दिया है। अतः ग्राम पंचायत का निर्णय गलत है। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प तिलानेस में रखी गई। उपस्थित पक्षों को सुना गया। सभी रेस्पोण्डेन्ट ने अपील स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत तिलानेस के द्वारा नामान्तकरण सं० 298 को क्रेता का व विक्रेता का कब्जा नहीं मानकर अस्वीकार किया है जो विधि विरुद्ध है। रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज

मल्लाराम S/o मोहनराम V/S ग्रा.प. तिलानेस व अन्य सं. वर्ष 06/2021

क्रम	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	में कब्जा हस्तान्तरण होना है किन्तु है। जिससे कब्जे के विषय में ग्राम पंचायत को अपना मत नहीं रखना चाहिये। इस प्रकार ग्राम पंचायत तिलानेस के द्वारा ग्राम तिलानेस के नामा० सं० 298 दि० 11.2.2021 को दिनांक 22/2/2021 को खारिज/अस्वीकार किया गया है वह विधि विरुद्ध है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम तिलानेस के नामा० सं० 11.2.2021 जिसे ग्राम पंचायत तिलानेस द्वारा दि० 22/2/2021 को अस्वीकार किया है। ग्राम पंचायत तिलानेस द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/2/2021 को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण पुनः तहसीलदार डेगाना को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि बेचान दस्तावेज दिनांक 21/1/2021 के सम्बन्ध में पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में आज दिनांक 15/11/2021 को सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)	

Scanned by CamScanner